न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

जमानत आवेदन सं0–508 / 2026
वैशाली थाना कांड सं0–831 / 2025

धारा 103(1), 61(2), 3(5) बी.एन.एस.

26.05.2026 दिनांक 07.03.2026 से प्रस्तुत वाद मे काराधीन अभियुक्त आर्यन कुमार उर्फ आर्यन बाबु की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित हुए, उभय पक्षो को सुना।

सूचक रंजीत कुमार द्वारा लिखित आवेदन थानाध्यक्ष वैशाली को इस आशय का दिया गया कि "कल दिनांक 20.11.2025 को समय करीब 07:30 बजे संध्या मे मेरा पुत्र हिमांशु कुमार दुकान बंद कर अपने बगल के साथी प्रिंस कुमार पिता–हरिमोहन राय उर्फ भोला के कहने पर मोटरसाईकिल से इब्राहिम पुर के तरफ गया। करीब 40–45 मिनट के बाद पता चला कि मेरे पुत्र हिमांशु कुमार को 8 से 10 व्यक्ति द्वारा मारपीट कर रड, लाठी, डंडा से बुरी तरह जख्मी कर सड़क किनारे फेक दिया गया है जिसे लोगो के द्वारा ईलाज हेतु ले जाने के दौरान रास्ते मे ही हो गयी। जब मै अस्पताल गया तो बेटा को मृत पाया। मुझे पता चला कि मेरे पुत्र हिमाशु कुमार का झगड़ा झंझट एक सप्ताह पूर्व उसके साथी आकांशु कुमार पिता–अजीत कुशवाहा के साथ हुआ था जिसमे आकांशु कुमार द्वारा धमकी दिया गया था कि इसका बदला मै अपने दोस्तो के साथ मिलकर ले लुगॉ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि साजिस के तहत जयप्रकाश राय व ओमप्रकाश राय दोनो पिता जयमंगल राय, गोलु कुमार पिता मोहन पासवान, गोलु कुमार पिता अनिल सिंह, बिट्टु कुमार पिता ललन पासवान, राहुल कुमार पिता नन्की पासवान, प्रिंस कुमार पिता पुनम कुशवाहा एवं प्रिंस कुमार पिता हरिमोहन राय द्वारा मेरे पुत्र की हत्या कर फेक दिया गया है।"

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नही है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि सह अभियुक्त अमन कुमार, मुस्कान राज एवं यश राज के स्वीकारोक्ति बयान पर आवेदक का नाम इस वाद मे आया है। आवेदक को जैसे ही जानकारी हुयी कि उसका नाम स्वीकारोक्ति बयान मे आया है वह स्वतः थाना मे आत्मसपर्मण

Web Copy Not Official

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।
जमानत आवेदन सं0–508/2026
वैशाली थाना कांड सं0–831/2025

दिनांक 06.03.2026 को किया था और पुलिस पदाधिकारी उसे गिरफ्तार कर दिनांक 07.03.2026 को माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया था तब से आवेदक इस वाद मे काराधीन है। स्वीकारोक्ति बयान के अलावे आवेदक के विरूद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आरोप नहीं है। प्रस्तुत घटना मे आवेदक की कोई संलिप्तता नही है उसे झुठा फसाया गया है। आवेदक काराधीन है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदक को जमानत दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदक का संलिप्तता उपरोक्त घटना मे है। कांड दैनिकी की कंडिका 14, 17 एवं 21 मे सह अभियुक्त ने आवेदक का नाम सह अभियुक्त के रूप मे बताया है। अभियोजन द्वारा आगे निवेदन किया गया कि आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक का नाम मामले मे सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर शामिल किया गया है और स्वयं आवेदक अभियुक्त ने भी मृतक के हत्या मे शामिल होने की बात को स्वीकार किया है। मामला अभी अनुसंधानरत है। अतः अपराध की गंभीरता को दृष्टगत रखते हुये आवेदक का जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता हैं।

- Sd -
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not Official

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

जमानत आवेदन सं0–508 / 2026
वैशाली थाना कांड सं0–831 / 2025

Date of Judgment/Order	26-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	26-05-2026
Uploading Date	04-06-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official